न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
327/अपील/18	06.08.2018	09.10.2019

रामकिशन आ0 मोती जाति मीणा,
निवासी ग्राम भंवरदा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बून्दी
— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—
अपीलान्ट की ओर से श्री शिव तोषनीवाल, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील नायब तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.17 (मिसल संख्या 2804/2017) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया, अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर सिविल सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का

कलेक्टर, बून्दी

अवसर नहीं मिला। ऐसे में अपीलांट अपने अधिकारों से वंचित हो गये, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के बाद उक्त आराजी पर से अपीलांट द्वारा अपना कब्जा छोड दिया है, वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। आरोपित शास्ति अपीलांट द्वारा राजकोष में जमा करवा दी है, वर्तमान में उक्त भूमि बाबत अपीलांट पर कोई राशि बकाया नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माने जाने में कानूनी त्रुटि की है। चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा पेनल्टी राशि जमा करवा दी है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कठोर दण्ड सिविल सजा को निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.17 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, उक्त भूमि आवन्टन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलान्ट बार बार अतिचार करने के आदी है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। अपीलांट के पश्चातवृर्ती अतिकमी होने के साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष में मनन किया। जिससे जाहिर आया कि अपीलांट ने भूमि, खसरा संख्या 365 रकबा 6 बीघा एवं 385 रकबा 5 बीघा किता दो कुल रकबा 11 बीघा किस्म **चरागाह** वाके ग्राम भवरदा पर संवत् 2074 मौसम खरीफ में उड़द की फसल काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिकमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत कार्यवाही करते हुए बेदखली, फसल नीलामी, 1375/—रू. शास्ति तथा तीस दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अतिक्रमी द्वारा संवत् 2073 मौसम रबी में भी उक्त चरागाह भूमि पर गेहूँ की फसल काश्त कर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिस पर से अतिक्रमी को पूर्व में भी बेदखल किया गया था। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट बार बार अतिचार करने का आदी है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपीलान्ट द्वारा यहां आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही समुचित तामील करवाई गई तथा उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को दिनांक 16.10.17 को विधिवत नोटिस दिया गया, जो स्वयं अपीलांट पर तामील होना अंकित है। इस प्रकार प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अपना जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित प्रदान किया गया था। इसके बावजूद भी अपीलांट की ओर से उक्त चरागाह भूमि पर उनके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा यह भी आपत्ति पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसका पश्चातवृत्ती अतिक्रमण मानने की त्रुटि की है। अपीलान्ट के पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी होने की पुष्टि न्यायालय तहसीलदार बूंदी की पत्रावली संख्या 1052/17 निर्णय दिनांक 03.03.17 की पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति से होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है।

यहां उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह सरकारी चरागाह भूमि है, उक्त भूमि पर अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवन्टन/ नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चरागाह भूमियॉ सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है, जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप में उचित नहीं माना गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना में भी चरागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर ही समस्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 09.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर बून्दी